"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2007—माघ 6, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं महेश कुमार साहू आत्मज श्री हंसाराम साहू, उम्र 34 वर्ष, निवासी क्वाटर नं. 6-एल., सड़क नं. 37, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग छ. ग. का हूं तथा बी. एस. पी. भिलाई में कार्यरत हूं. मेरा पर्सनल नं. 155342 है. मैं अपनी पुत्री कु. ईलाबाला का नाम परिवर्तित कर कु. ईवांजली रख लिया हूं तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. ईवांजली आत्मजा श्री महेश कुमार साहू के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. ईलाबाला आत्मजा-श्री महेश कुमार साहू निवासी-क्वाटर नं. 6-एल, सड़क नं.-37, सेक्टर-6, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कु. ईवांजली आत्मजा-श्री महेश कुमार साहू निवासी-क्वाटर नं. 6-एल, सड़क नं. 37, सेक्टर-6, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संतोष राव शिन्दे आत्मज स्व. यादोराव शिन्दे, उम्र 53 वर्ष, निवासी बुढ़ापारा नया हनुमान मंदिर रायपुर (छ. ग.) हाल मुकाम रिसाईपारा वार्ड धमतरी, जिला धमतरी (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर एस. के. शिन्दे रख लिया हूं तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे एस. के. शिन्दे आत्मज स्व. यादोराव शिन्दे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
संतोष राव शिन्दे आत्मज-स्व. यादोराव शिन्दे निवासी-रिसाईपारा वार्ड धमतरी जिला धमतरी (छ. ग.)	एस. के. शिन्दे आत्मज-स्व. यादोराव शिन्दे निवासी-रिसाईपारा वार्ड धमतरी जिला धमतरी (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सी. डब्ल्यू. बिडवईकर आत्मज श्री वामन राव बिडवईकर, उम्र 56 वर्ष, निवासी टिकरापारा बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री कु. ईशा बिडवईकर के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में प्रचलित नियमानुसार माता का नाम संलग्न करने हेतु उनकी गोदमाता प्रमिला बिडवईकर के स्थान पर अपनी पत्नि (पुत्री की जन्मदात्री माता) का नाम जोकि श्रीमती कल्पना बिडवईकर है, को जोड़ना चाहता हूं. जिसके लिये सक्षम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 का निर्णय एवं वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. ईशा बिडवईकर माता श्रीमती कल्पना बिडवईकर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. ईशा बिडवईकर गोद माता-प्रमिला बिडवईकर पिता-सी. डब्ल्यू. बिडवईकर निवासी-टिकरापारा बिलासपुर तह. व जिला बिलासपुर (छ. ग.)	कु. ईशा बिडवईकर माता-श्रीमती कल्पना बिडवईकर पिता-सी. डब्ल्यू. बिडवईकर निवासी-टिकरापारा बिलासपुर तह. व जिला बिलासपुर (छ. ग

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सामू राम आत्मज श्री मुन्नर राम, उम्र 65 वर्ष, निवासी मकान नं. 295, कैलाश नगर, कुरूद भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सामू चौहान रख लिया हूं तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सामू चौहान के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सामू राम आत्मज-श्री मुन्नर राम निवासी-म. नं. 295, कैलाश नगर, कुरूद, भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.)	सामू चौहान आत्मज-श्री मुन्नर राम निवासी-म. नं. 295, कैलाश नगर, कुरूद, भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, बिलासपुर छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

क्रमांक/7525/अ. व. लि./2007.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/1999/1/4 दिनांक 30-3-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं गौरव द्विवेदी, कलेक्टर, बिलासपुर जिले के लिए वर्ष 2006 हेतु निम्नानुसार तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहारों के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-

अनुक्रमांक	अवकाश की तिथि	दिन	पर्व/त्यौहार
1.	5 मार्च 2007	सोमवार	भाई दूज
2.	10 सितम्बर 2007	सोमवार	पोला
3.	19 अक्टूबर 2007	शुक्रवार	दशहरा (महाअष्टमी)

गौरव द्विवेदी,
कलेक्टर.

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2007

प्रारुप तेरह
(नियम 18 देखिये)

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

क्र. 02/मिस./तक. शा./2000/43/II.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण ग्राम टिकरापारा एवं ग्राम पुरैना, अमलीडीह तथा रायपुर एवं ग्राम पंडरीतराई तथा फाफाडीह के अंतर्गत कटोरातालाब योजना एवं देवेन्द्रनगर योजना के संबंध में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

चर्तुसीमा निम्नांनुसार है :-

कटोरातालाब योजना

उत्तर : ग्राम टिकरापारा और रायपुर खास का सरहद

पश्चिम : ग्राम टिकरापारा ख. नं. 287, 288, 289, 283 तथा ग्राम टिकरापारा एवं रायपुर खास का सरहद

दक्षिण : रायपुर धमतरी राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्राम टिकरापारा ख. नं. 248

पूर्व : छोटी नहर ग्राम टिकरापारा का खं. नं. 36 एवं अमलीडीह, पुरैना नहर की सरहद

देवेन्द्रनगर योजना

उत्तर : फाफाडीह से नई गंज मंडी रोड, ग्राम फाफाडीह का ख. नं. 232, 347/1, 1244/2, 1245/3, 1262

पश्चिम : छोटी रेल्वे लाईन ग्राम फाफाडीह से उत्तर की ओर तालाब का ख. नं. 178 से होकर मंडी रोड तक

दक्षिण : छोटी रेल्वे लाईन ग्राम फाफाडीह का ख. नं. 137 बलौदाबाजार रोड तक

पूर्व : ग्राम पंडरी का ख. नं. 8/1, 2, 3, 18/1, 19/1, 2, 3, 186 एवं बलौदाबाजार रोड, छोटी रेल्वे लाईन तक ग्राम पंडरी का ख. नं. 193.

Raipur, the 3rd January 2007

FORM XIII
(See Rule 18)

Town and Country Development Authority

No. 02/ मिस./तक. शा./2000/43/II.—It is hereby declared and published for the information of the general public under sub-section (2) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that Raipur Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for Katora Talab & Devendra Nagar Scheme under village Fafadih & Tikarapara, Pandari, Raipur, Purena & Amlidih. Boundaries are as follows :-

KATORA TALAB SCHEME

North : Boundary of Tikarapara & Raipur Khas

West : Tikarapara survey No. 287, 288, 289, 283 and boundary of Tikarapara & Raipur Khas

South : Raipur to Dhamtari National Highway Tikarapara survey No. 248

East : Distribution canal Tikarapara survey No. 36 & boundary of Amlidih, Purena canal.

DEVENDRA NAGAR SCHEME

North : Fafadih to New Mandi Road Fafadih survey No. 232, 347/1, 1244/2, 1245/3, 1262

West : Narrow gauge railway line to north direction Fafadih survey No. 178 upto New Mandi Road

South : Narrow gauge railway line Fafadih survey No. 137 upto Baloda Bazar Road

East : Pandari survey No. 8/1, 2, 3, 18/1, 19/1, 2, 3, 186 & Baloda Bazar Road upto Narrow gauge railway line Pandari survey No. 193.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2007

प्रारुप तेरह
(नियम 18 देखिये)

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

क्र. 03/मिस./तक. शा./2004/140.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण ग्राम चिरुलडीह एवं ग्राम कोटा के अंतर्गत आवासीय योजना के संबंध में नगर विकास स्कीम तैयार करने का प्रस्ताव रखता है.

चतुर्सीमा निम्नानुसार है :-

1. **ग्राम चिरुलडीह प. ह. नं. 106 ब**

उत्तर में : ग्राम चिरुलडीह एवं कोटा का सरहद तथा ग्राम चिरुलडीह एवं गुढ़ियारी का सरहद

पूर्व में : खसरा नं. 856/3, 869/1, 837/7, 839/15 का भाग, 838/4 का भाग, 838/14, 838/12 का भाग, 806/2, 838/12, 812/2, 818, 868/1 ख.

दक्षिण में : नहर (स्थल पर सड़क)

पश्चिम में : चिरुलडीह कोटा सरहद

2. **ग्राम कोटा प. ह. नं. 107**

I. **उत्तर में :** ग्राम गुढ़ियारी से कोटा सड़क

पूर्व में : ग्राम कोटा एवं गुढ़ियारी सरहद तक

दक्षिण में : ग्राम कोटा एवं चिरुलडीह का सरहद तक

पश्चिम में : नहर (स्थल पर सड़क) तक

II. **उत्तर में :** रेल्वे लाईन तक

पूर्व में : तालाब की पश्चिमी मेंढ़, खसरा नं. 113/3, 113/12, 113/5

दक्षिण में : खसरा नं. 164, 167, 64/1, 64/2, 65, 66, 67/(1, 2, 3, 4, 5), 68/1, 68/2, 188, 189, तालाब.

पश्चिम में : कोटा एवं डूमरतालाब का सरहद

Raipur, the 3rd January 2007

FORM XIII
(See Rule 18)

Town and Country Development Authority

No. 03/ मिस./ तक. शा./2004/140.—It is hereby declared and published for the information of the general public under sub-section (2) of section 50 at the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that Raipur Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for Chirhuldih and Kota Housing Scheme under village Chirhuldih and Kota :-

BOUNDARIES AREAS FOLLOWS—

1. **Chirhuldih Housing Scheme -**

North	:	Boundary of Chirhuldih & Kota and boundary of Chirhuldih & Gudhiyari
East	:	Kh. No. 856/3, 869/1, 837/7, 839/15 Part, 838/4 Part, 838/14, 838/12 Part, 806/2, 838/12, 812/2, 818, 868/1 Kha.
South	:	Canal (on Spot Road)
West	:	Boundary of Chirhuldih & Kota

2. **Kota Housing Scheme -**

I	**North**	:	Gudhiyari-Kota Road
	East	:	Boundary of Kota-Gudhiyari
	South	:	Boundary of Kota and Chirhuldih
	West	:	Canal (on Spot Road)
II	**North**	:	Railway Line
	East	:	West side of Tank, Kh. No. 113/3, 113/12, 113/5
	South	:	Kh. No. 164, 167, 64/1, 2, 65, 66, 67/1 to 5, 68/1, 68/2, 188, 189, Talab
	West	:	Boundary of Kota & Domartalab

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2007

प्रारुप तेरह
(नियम 18 देखिये)

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

क्र. 17/मिस./तक. शा./2007/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण ग्राम रायपुरा के अंतर्गत रायपुरा आवासीय योजना के संबंध में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

चतुर्सीमा निम्नानुसार है :-

रायपुरा योजना :-

उत्तर : खसरा नंबर 71/1, 71/3, 72/1 एवं 72/2

पश्चिम : नाला खसरा नंबर 473

दक्षिण : सड़क खसरा नंबर 126

पूर्व : खसरा नं. 94/1, 94/2, 95, 96 एवं 101, 102

Raipur, the 12th January 2007

FORM XIII
(See Rule 18)

Town and Country Development Authority

No. 17/ मिस./ तक. शा./2007/04.—It is hereby declared and published for the information of the General Public under Sub-section (2) of Section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that Raipur Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for Raipura Residential Scheme under village Raipura :-

Boundaries are as follows :-

North : Khasra No. 71/1, 71/3, 72/1 & 72/2

West : Nalla Khasra No. 473

South : Road Khasra No. 126

East : Khasra No. 94/1, 94/2, 95, 96, 101 & 102

श्याम बैस,
अध्यक्ष.

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 4 जनवरी 2007

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 110/प्र. 1/अ. वि. अ./2007.—चूंकि संस्थापक न्यासी श्री व्ही. गणपति आ. स्व. श्री पी. एन. वेंकटरमन द्वारा एम. एस. ए. फाउन्डेशन ट्रस्ट एल. आई. जी. 261 आमदी नगर हुडको भिलाई ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गयी न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 25-01-07 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं तारन प्रकाश सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग एवं पंजीयक लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 25-1-2007 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक 25-1-2007 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	एम. एस. ए. फाउन्डेशन ट्रस्ट एल. आई. जी. 261 आमदी नगर, हुडको भिलाई.
(2)	संपत्ति रुपये	:	5000.00 (पांच हजार रुपये मात्र)

तारन प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक
एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, जिला बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2006

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपज/परिसमापन/2006/858.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1117, दिनांक 26-8-88 के द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. एड़का विकासखण्ड नारायणपुर जिला बस्तर जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 70 दिनांक 31-3-60 है को छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. के. दीक्षित को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एम. सी. नेताम, सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-11-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2006

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपज/परिसमापन/2006/859.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1117, दिनांक 26-8-88 के द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. धौड़ाई विकासखण्ड नारायणपुर जिला बस्तर जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 69 दिनांक 19-3-60 है को छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. के. दीक्षित को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एम. सी. नेताम, सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-11-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2006

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपज/परिसमापन/2006/860.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1117, दिनांक 26-8-88 के द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बेनूर विकासखण्ड नारायणपुर जिला बस्तर जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 434 दिनांक 17-7-58 है को छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. के. दीक्षित को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एम. सी. नेताम, सहायक पंजीयक (अंके.) सहकारी समितियां, जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-11-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एम. सी. नेताम,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक/परिस./07/56.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिस./1646 बिलासपुर दिनांक 1-12-2006 के द्वारा पत्थर गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. बाकीघाट प. क्र. 3879 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था अध्यक्ष एवं परिसमापक श्री जी. सूर्यनारायण द्वारा संस्था के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के परीक्षणोंपरान्त संस्था वर्तमान में नियमत: कार्यशील हैं.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर अध्यक्ष एवं परिसमापक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से पूर्णत: सहमत होते हुए पत्थर गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. बांकीघाट का परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए पुनर्जीवित करता हूं. यह आदेश आज दिनांक 8-1-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक/परिस./07/63.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिस./599 बिलासपुर दिनांक 17-5-2006 के द्वारा सत्यनारायण बुनकर सहकारी समिति मर्या. लोफंदी प. क्र. 121 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था अध्यक्ष एवं परिसमापक श्री आर. एम. खैरवार द्वारा संस्था के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के परीक्षणोंपरान्त संस्था वर्तमान में नियमत: कार्यशील हैं.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर अध्यक्ष एवं परिसमापक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से पूर्णत: सहमत होते हुए सत्यनारायण बुनकर सहकारी समिति मर्या. लोफंदी का परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए पुनर्जीवित करता हूं. यह आदेश आज दिनांक 11-1-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.